

हकम की जारी कर  
हकम की जारी कर

हकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 494/2023 अनवान देराजराम बनाम राउराम वगैराह

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की  
तामील मे जारी


आदेश

03/04/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। आज बावजूद सूचना अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मातासर पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 932/776 रकबा 01.8777 हेक्टर व खसरा संख्या 926/806 रकबा 0.2266 हेक्टर, भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मातासर पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 932/776 रकबा 01.8777 हेक्टर व खसरा संख्या 926/806 रकबा 0.2266 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फौसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

  
उप खण्ड अधिकारी